

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्विक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य आरम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**एकल शिफ्टी राष्ट्र डिजाइन अनुसार**

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 163 दिनांक 09/03/2019

प्रार्थीया श्रीमती सुवर्णी गौयल प्लॉ की प्रकाश गौयल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6937/- जमा की

जसिये रसीद संख्या 1021/6233, 6234

दिनांक 09/03/2019 को जमा करा दी है ।

व्यवस्थित अखण्ड सं. 4-BS-62  
चौपालनी इन्फिनिटी बॉर्ड

9/3/19

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

राष्ट्र  
डिजाइन  
अनुसार

Suo  
9/3/19  
9414135074